ISSN NO.2395-0692

IJAHMS International Journal of Arts, Humanities and Management Studies

# विद्यालयों में नैतिक मूल्यों की शिक्षा का स्वरूप

**डा० कल्पना जैन**

***तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय , कॉलेज ऑफ एजूकेशन, मुरादाबाद***

भारत में अनेक धर्मों और सम्प्रदायों के व्यक्ति निवास करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 सभी को अपने धर्म का अनुसरण करने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है व साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि राजकीय शिक्षा संस्थाओं में धर्म की शिक्षा नही दी जा सकती। चूंकि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अतः अब प्रश्न यह उठता है कि विभिन्न धर्मों के बालकों को नैतिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए? इस समस्या का समाधान गांधी जी ने इस प्रकार कहकर किया

***"मेरे लिए नैतिकता, सदाचार और धर्म–पर्यायवाची भाब्द हैं। नैतिकता के आधारभूत सिद्धांत सब धर्मों में समान हैं। बालकों को नि िचत रूप से इन आधारभूत सिद्धान्तों को पढ़ाया जाना चाहिए और इसको पर्याप्त धार्मिक शिक्षा समझा जाना चाहिए।"***

महान् दार्शनिक प्लूटों के अनुसार –

***"शिक्षा से अभिप्राय उस प्रि क्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करता है।"***

जर्मन विषेशज्ञ हरबर्ट के शब्दो में

***"शिक्षा के सम्पूर्ण कार्य को एक ही शब्द से प्रकट किया जा सकता है और वह शब्द है नैतिकता ।"***

अर्थात् नैतिकता व नैतिक शिक्षा वह आधारभूत तत्त्व है जिसके बिना शिक्षा को अपूर्ण कहा जा सकता है। आज संसार जिस तीव्र गति से प्रगति कर रहा है उस रफ्तार से यदि किसी चीज में सर्वथा गिरावट आई है तो वह नैतिक–मूल्यों में आता तीव्र क्षरण।

महान दार्शनिक रॉस के अनुसार

आज अधिकाधिक विचार  शील लोगो का वि  वास यह हो गया है कि यदि हम शिक्षा द्वारा उच्च कोटि की सभ्यता का निर्माण करना और उसको बनाए रखना चाहतें हैं एवं कुछ समय

ISSN NO.2395-0692
IJAHMS International Journal of Arts, Humanities and Management Studies

के बाद होने वाली पशुता के प्रदर्शन से इसकी रक्षा करना चाहते हैं, तो शिक्षा को नैतिकता पर आधारित किया जाना आवश्यक है।

भारतीय शिक्षा आयोग(1964–66) के अनुसार ***"सामाजिक नैतिक और अध्यात्मिक मूल्य–शिक्षा की अनुपस्थिति, विद्यालय पाठ्यक्रम का एक गम्भीर दो ष है।"*** यदि हम अपनी शिक्षा संस्थाओं से नैतिक शिक्षा व अध्यात्मिक प्रशिक्षण को निकाल देंगे, तो हम अपने सम्पूर्ण ऐतिहासिक विकास के विरूद्ध कार्य करेंगे।

**विभिन्न शिक्षा आयोगों व समितियों के मूल्य–शिक्षा पर विचार**

भारतीय शिक्षा आयोंगों व समितियों ने एक स्वर में नैतिक मूल्यों की शिक्षा को शिक्षा का अनिवार्य अंग कहा है व शिक्षा के विभिन्न स्तरों में इनके सम्मिलन को आवश्यक बताया है।

आयोग के अनुसार, ***"विद्यालय स्तर पर छात्रों को नैतिक और धार्मिक सिद्धांतो को व्यक्त करने वाली कहानियां पढाई जांए।"***

प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के लिए उपयुक्त धार्मिक और नैतिक पुस्तकें तैयार कराई जाएं। इस हेतु प्राथमिक स्तर पर समिति को सुझाव दिया। विद्यार्थियों को प्रति सप्ताह 2 घण्टे नैतिक शिक्षा प्रदान की जाए।

माध्यमिक स्तर पर छात्रों को संसार के महान धर्मों के महत्वपूर्ण सिद्धान्तों की शिक्षा दी जाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के रूप में समाज सेवा की भावना का विकास किया जाए।

विश्वविद्यालय स्तर पर सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में विभिन्न धर्मों के सामान्य अध्ययन को अनिवार्य अंग बनाया जाए।

**विद्यालय स्तर –** विद्यालय स्तर में विद्यार्थियों को आधारभूत नैतिक, सामाजिक और अध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए, यथा– सत्य, ईमानदारी, सामाजिक उत्तरदायित्व, पशुओं पर दया, बुजुर्गों के प्रति सम्मान, दुःखी और दारिद्रों के प्रति सहानुभूति इत्यादि। उक्त मूल्यों को विद्यालय के कार्यक्रमों का अभिन्न अंग बनाया जाए। मूल्यों की शिक्षा देने के लिए समय–तालिका में प्रति सप्ताह कुछ घण्टे निर्धारित किए जाएं। विश्वविद्यालय स्तर आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को व्यक्ति के सम्मान, समानता, सान्याय, कल्याणकारी राज्य आदि की शिक्षा दी जाए।

ISSN NO.2395-0692
IJAHMS International Journal of Arts, Humanities and Management Studies

नैतिक व मूल्य–शिक्षा को आत्मसात् करने के सम्बन्ध में आयोग (1964–66) ने लिखा है कि– ***"हमारा विश्वास है कि नैतिक व मूल्य शिक्षा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों विधियों से दी जानी चाहिए।"*** इस हेतु विभिन्न आयोगो द्वारा दोनो विधियों पर जोर दिया गया है जिनमें प्रमुख निम्न है–

- समय तालिका के मूल्य और नैतिक शिक्षा के लिए निर्धारित घण्टे।
- शिक्षा द्वारा छात्रों को धार्मिक और नैतिक कहानियों, घटनाओं पौराणिक कथाओं आदि का सुनाया जाना।
- विद्यार्थियों द्वारा नैतिक पुस्तकों, धार्मिक ग्रंथों, धार्मिक समस्याओं और तुलनात्मक धर्म का अध्ययन।
- विद्यार्थियों और शिक्षक से धार्मिक और नैतिक विशयों पर विचार–विमर्श और विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछा जाना।
- विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में प्रार्थना व प्रातःकालीन सभा का सर्वोच्च स्थान है और यह मूल्य स्थापना का प्रमुख स्थान है।
- सभी विद्यालयों में महान् धर्म प्रर्वतकों के जन्मोत्सव और सभी धर्म के धार्मिक उत्सव मनाए जाएं। इन अवसरों पर विभिन्न धर्मों के सार्वभौमिक सिद्धान्तों पर व्याख्यान और उपदेश दिए जांए।
- शिक्षा आयोग ने शिक्षा में धार्मिक, नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार के सामुहि कार्यों का सुझाव दिया है जैसे– समाज सेवा कार्य–अनुभव।

बालकों के मस्तिश्क में धार्मिक और नैतिक आदर्शों का समावेश बलपूर्वक या आदेश द्वारा नही किया जा सकता। ऐसा करने के लिए शिक्षक को सुझाव और प्रेरणा देनी चाहिए। सुझाव देने की सर्वोत्तम विधि बताते हुए विश्वविद्यालय आयोग ने लिखा है –***"सुझाव की सर्वोत्तम विधि व्यक्तिगत उदाहरण, दैनिक जीवन और कार्य द्वारा है।"***

- विद्यालय का सम्पूर्ण वातावरण इस प्रकार का हो कि बालक को अपनी नैतिक उन्नति करने के लिए यह धार्मिक बल प्राप्त हो।

**निश्कर्श–** यह सत्य है कि समाज तीव्र आर्थिक विकास और सामाजिक रूपांतरण के कारण संक्रमण के दौर से गुजर रहा है व नैतिक मूल्यों का विकास प्राथमिकता का मुद्दा नहीं है। पहले जमाने में संयुक्त परिवार व्यवस्था का प्रमुख लाभ यह था कि माता–पिता, दादा–दादी व

ISSN NO.2395-0692
IJAHMS International Journal of Arts, Humanities and Management Studies

अन्य परिवारजन बच्चों को संस्कारों व मूल्यों की शिक्षा देते थे तथा शिक्षा व्यवस्था में भी अनौपचारिक रूप से इनका समावेश पाया जाता था। किन्तु आज संदर्भ और परिस्थितियां बदल चुकी हैं। परिवारों में संयुक्त प्रथा टूटने के कगार पर है। आज माता पिता दोनों काम करते हैं एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ गया है। बच्चों को भावात्मक और नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान अभिभावक नहीं रख पाते। संस्कृति सदाचार व चरित्र की शिक्षा व नैतिकता परिवार के दायरे सें बाहर होते जा रहे हैं। प्रदूशित होते जा रहे हैं।

अतः इस स्थिति में शिक्षा को मात्र पाठ्यक्रम के दायरे में ही सीमित नहीं रखना होगा वरन् इसे नई भूमिका व संदर्भ में देखना होगा।

## संदर्भ ग्रन्थ सूची

i. प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, अशोक मेहता, साहित्य प्रकाशन जयपुर पृश्ठ 34

ii. राष्टीय पाठ्य चर्या की रूप रेखा NCF 2005 पृश्ठ 23

iii. भारतीय शिक्षा आयोग(1964–66), पृश्ठ 42

www.ijahms.com